कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– उनि/स शि/SIQE/वोल–2/2016–17/238-240 दिनांक : 18.08.2017

1. **समस्त संस्था प्रधान**
   राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय
2. **समस्त संस्था प्रधान**
   राजकीय उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय

विषयः– शैक्षिक सत्र 2017–18 में एसआईक्यूई कार्यक्रम के तहत प्राथमिक कक्षाओं के अवलोकन एवं प्रबोधन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में उन्नयन हेतु एसआईक्यूई कार्यक्रम चल रहा है। जिसके अन्तर्गत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, बाल केन्द्रित शिक्षण तथा गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया अपनाते हुए विद्यार्थियों को शिक्षण करवाया जा रहा है। आप सभी कार्यक्रम की मूल भावना एवं विधा से भली भांति अवगत है लेकिन कतिपय विद्यालयों में पूर्व में दिए गए निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं हो रही है। इस कारण संबंधित कक्षाओं में बाल केन्द्रित शिक्षण एवं सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के फलस्वरूप विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में होने वाले अपेक्षित परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतः SIQE कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए प्रासंगिक निर्देशों के अनुक्रम में पुनः निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं–

1. प्राथमिक कक्षाओं में संचालित इस कार्यक्रम का सम्पूर्ण दायित्व संस्था प्रधान का होगा। संस्था प्रधान सन्दर्भित पत्र में दिए गए प्रारूपों में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति से संबंधित मासिक आँकड़ों तथा प्रत्येक योगात्मक आकलन के बाद विद्यार्थियों के सीखने के स्तर निम्नांकित तालिकाओं में संधारित कर अपनी टेबल पर रिकार्ड रखना सुनिश्चित करें।

उपस्थिति तालिका माह ....

कक्षा	कक्षा अध्यापक का नाम	कक्षा का कुल नामांकन	माह :		माह :		माह :	
			औसत उपस्थिति	70 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की संख्या	औसत उपस्थिति	70 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की संख्या	औसत उपस्थिति	70 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की संख्या
1								
2								
3								
4								
5								

विद्यार्थी के सीखने के स्तर की विषयानुसार तालिका
योगात्मक आकलन .... के अनुसार

कक्षा	कुल नामांकन	हिन्दी		गणित		अंग्रेजी		विशेष विवरण
		कक्षा स्तर पर	कक्षा स्तर से न्यून	कक्षा स्तर पर	कक्षा स्तर से न्यून	कक्षा स्तर पर	कक्षा स्तर से न्यून	
1								
2								
3								
4								
5								

2. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में हैड टीचर इस कार्यक्रम हेतु प्रभारी होंगे तथा संस्था प्रधान को प्राथमिक कक्षाओं के अध्ययन--अध्यापन की स्थितियों के बाबत् नियमित और अद्यतन जानकारी प्रदान करेंगे। हैड टीचर पूर्व में विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए सोंपे गए समस्त कार्यो का सम्पादन मुस्तैदी करेंगे। हैड टीचर प्रत्येक माह सभी प्राथमिक कक्षाओं का अवलोकन करेंगे तथा अवलोकन प्रपत्र भरकर उसका रिकार्ड भी संधारित करेंगे। हैडटीचर के संबंध में पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है कि संस्था प्रधान किसी भी शिक्षक को स्वविवेक से प्रभार सौंप सकता है। लेकिन संस्था प्रधान हैड टीचर का कार्यभार देते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि विद्यालय में कोई शिक्षक इस कार्यक्रम के लिए केआरपी अथवा एमटी हो तो उसे प्राथमिकता से हैडटीचर का कार्यभार दिया जाए ।
3. संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की सहभागिता हो ताकि वे मुखर होकर सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रह सके।
4. प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की सृजनात्मकता एवं मौलिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना सभा में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करें जिससे बच्चों की सृजनशीलता के लिए उचित स्थान मिल सके।

www.rajteachers.com

5. बच्चों की सृजनात्मकता और मौलिकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय के गतिविधि कॉर्नर पर उनकी रचनाओं को प्रदर्शित किया जावें। यहाँ भित्ती पत्रिका भी तैयार कर प्रदर्शित की जावें ताकि बच्चों में आत्मविश्वास एवं प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित हो।
6. संस्था प्रधान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक शिक्षक बच्चों की आवश्यकतानुरूप तार्किक शिक्षण योजना का स्वयं निर्माण करें तथा कक्षा शिक्षण में योजनानुरूप गतिविधियों का समावेश इस प्रकार करें कि सीखने–सिखाने की प्रक्रिया रोचक व विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने वाली हो।
7. संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे की प्राथमिक कक्षाओं में किसी इकाई/अवधारणा के अध्यापन के दौरान शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाया जा रहा है तथा पूर्ण होने के पश्चात आकलन कार्यपत्रक का निर्माण कर विद्यार्थियों की संबंधित इकाई/अवधारणा अधिगम उपलब्धि की जांच आवश्यक रूप से की गई है।
8. बच्चों के द्वारा किये गये कार्य (यथा – कक्षाकार्य, गृहकार्य, कार्यपत्रक इत्यादि) पर बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों पर गोला करें और त्रुटियों को परिमार्जित करवाते हुए शुद्ध शब्द लिखवाये जाए। जिससे बच्चों को त्रुटियों पर कार्य करने का अवसर मिल सके।
9. समूह दो के विद्यार्थियों को वांछित स्तर तक लाने हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। शिक्षक उनके कमजोर पक्षों को पहचान कर तद्नुरूप ठोस योजना निर्मित करते हुए, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. कक्षा के मेधावी छात्र–छात्राओं को पीअर शिक्षक का दायित्व देते हुए शिक्षक समूह 2 के बच्चों के साथ कार्य करें एवं उन्हें कक्षा स्तर तक लाने के अधिकतम प्रयास करें। मेधावी बच्चों की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अतिरिक्त सृजनात्मक कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाए।
11. संस्था प्रधान शिक्षकों की शिक्षण योजना डायरी हस्ताक्षर कर कार्य कि इतिश्री न करें वरन् उसका भली–भांति अवलोकन करें तथा आवश्यकता होने पर उसमें यथायोग्य सुझाव भी अंकित करें।
12. यह सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षिक सत्र के आरम्भ में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर निर्धारण के लिए आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन आकलन कर लिया गया है और इसके आधार पर समूह निर्धारण कर लिया गया है। यह प्रक्रिया पूर्ण व्यवस्थित व व्यापक हो। साथ ही उसमे जाँचकर्ता की सकारात्मक टिप्पणी तथा कक्षा स्तर का स्पष्ट उल्लेख हो।
13. कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु संस्था प्रधान कतिपय भौतिक आवश्यकताओं (शिक्षण सामग्री) यथा– कागज रीम, सेलो टैप, रंगीन कागज, वेक्स कलर, गत्ता, गोंद तथा शिक्षकों द्वारा चाही गई समस्त औचित्यपूर्ण सामग्री की उपलब्धता करवाते हुए उसका कक्षा शिक्षण में उपयोग भी सुनिश्चित करेंगे। आर्ट–किट हेतु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा प्रति नामांकन 5 रुपये का बजट भी आंवटित किया गया है।
14. पोर्टफोलियो विद्यार्थी द्वारा अर्जित दक्षता का प्रमाण है। अतः पोर्टफोलियो में प्रत्येक विषय के आकलन कार्यपत्रक पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। प्रत्येक आकलन कार्यपत्रक के प्रश्न उद्देश्यों से अन्तर्ग्रन्थित हो। इनमें वर्णित प्रश्नों में विविधता, व्यापकता एवं वस्तुनिष्ठता का स्पष्ट समावेश हो। यह भी ध्यान रखें कि इन कार्यपत्रकों मे प्रश्नों की संख्या पर्याप्त हो तथा प्रश्न विद्यार्थी द्वारा अर्जित की गई विभिन्न दक्षताओं पर आधारित हो।
15. संस्था प्रधान प्राथमिक कक्षाओं में दिए जाने वाले गृहकार्य तथा वर्कशीटों की नियमित जाँच करेंगे तथा उसमें अपने हस्ताक्षर भी अंकित करेंगे। संस्था प्रधान जाँच करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि शिक्षक द्वारा उसमें त्रुटि अंकन एवं विद्यार्थियों से सुधार कार्य करवाया है अथवा नहीं। अपने अधीनस्थ शिक्षकों को यह भी निर्देशित करेंगे कि वे जाँच करने के बाद सकारात्मक एवं गुणात्मक टिप्पणी अंकित करते हुए दिनांकित हस्ताक्षर करें।
16. संस्था प्रधान प्रत्येक प्राथमिक कक्षाओं के कालांशों में अध्यापन प्रक्रिया का घोषित और अघोषित अवलोकन करेंगे तथा उसका रिकार्ड अवलोकन प्रपत्र में संधारित करेंगे। कक्षा अवलोकन के दौरान विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। शिक्षक से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर एवं कठिनाईयों पर चर्चा करेंगे तथा इस बाबत् शिक्षक को आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु आवश्यक संबलन प्रदान करेंगे। यदि कोई कठिनाई ऐसी हो जिसका निवारण विद्यालय स्तर पर संभव नहीं हो तो जिला अकादमिक ग्रुप, डाइट, डीएसएफ, एसआरजी, केआरपी या एमटी से सम्पर्क कर समाधान करने का प्रयास करे।

(पूर्णचन्द किशन)
आई.ए.एस.
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. समस्त मण्डल उपनिदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा को अधीनस्थ जिलों में उक्त की पालना सुनिश्चित करने हेतु ।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय को अधीनस्थ विद्यालयों में उक्त की पालना सुनिश्चित करने हेतु ।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अधीनस्थ विद्यालयों में उक्त की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
7. समस्त पीईईओ को अधीनस्थ विद्यालयों में उक्त की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु तथा समस्त संस्था प्रधान रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि की ई–मेल आईडी पर प्रेषित करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

नोडल प्रभारी (SIQE)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु SIQE कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के सफल संचालन हेतु कक्षा 1 से 5 के सभी विद्यालयों (प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि) में SIQE कार्यक्रम की मोनिटरिंग निदेशालय स्तर से पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/SIQE /19504/2017 दिनांक 19.07.2017 की अनुपालना में की जानी है। अवलोकन कार्यक्रम प्रतिमाह किया जाना है एवं यह पूर्व निर्धारित प्रपत्र (आकलन प्रपत्र/स्वआकलन प्रपत्र) में सूचना भर कर राज्य कार्यालय के SIQE अनुभाग में संकलित की जानी है। अवलोकन की अवधि संभागवार 1 सप्ताह की रहेगी एवं निर्धारित आवंटित विद्यालयों का अवलोकन उसी सप्ताह के अन्तर्गत किया जाना है।

निदेशालय स्तर से आवंटित जिलों का विवरण निम्नानुसार है–

क्रस	नाम अधिकारी	पदनाम/अनुभाग	आवंटित जिला
1.	श्रीमती गायत्री प्रजापति	संयुक्त निदेशक प्रशासन	झालावाड़, बारां
2.	श्री अजय चौपड़ा	उप निदेशक, सतर्कता, विजांच, रोकड़	सीकर
3.	श्री बह्मपाल सिंह	उप निदेशक,निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा,बीकानेर	जयपुर, दौसा
4.	श्री शिवचरण लाल मीणा	उपनिदेशक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर	बूंदी, टोंक
5.	श्री मूलचन्द बोहरा	उप निदेशक, RTE	धौलपुर, सवाईमाधोपुर
6.	श्री चन्द्र पाल सिंह	DEO, सुगम, आरटीआई, शालादर्शन,	झुंझनू
7.	श्री राम कृष्ण गर्ग	DEO, अवकाश, रेकार्ड, पुस्तकालय, साप्र, मोने.	उदयपुर, चित्तौडगढ
8.	श्री देवदत्त यादव	जिशिअ, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर	डूंगरपुर, बांसवाड़ा
9.	श्री पालाराम मेवता	DEO, निदेशालय प्राशि, बीकानेर	जैसलमेर, बाड़मेर
10.	प्रकाश चन्द्र जाटोलिया	DEO, निदेशालय प्राशि, बीकानेर	पाली, जालौर
11.	श्री ललित बिहारी माथुर	सहायक निदेशक, निजी शाखा	अलवर
12.	श्री राजेश गोस्वामी	सहायक निदेशक, नियुक्ति	सिरोही
13.	श्री राकेश कुमार ढल्ला	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	श्रीगंगानगर
14.	श्री सूर्य नारायण सिंह	सहायक निदेशक,. शिक्षक संस्थापन, आरटीई	करौली
15.	श्री च्यानणमल भार्गव	सहायक निदेशक, शाला दर्शन	चूरू
16.	श्री किशनदान चारण	सहायक निदेशक, शैक्षिक निरीक्षण	राजसमंद
17.	श्री अरविन्द व्यास	सहायक निदेशक,. राजपत्रित, एसीआर,	जोधपुर
18.	श्री संदीप भार्गव	सहायक निदेशक, विधान सभा, सामान्य प्रशासन	हनुमानगढ
19.	श्री रामकुमार आचार्य	सहायक निदेशक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर	प्रतापगढ़
20.	श्री मोहनराम सिहाग	सहायक निदेशक, आरटीआई, सतर्कता लोकायुक्त टीएडी	भरतपुर

www.rajteachers.com

21.	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	सहायक निदेशक, विधिए आवक–जावक	भीलवाड़ा
22.	श्री तरूण कुमार गौड़	सहायक निदेशक, मोनिटरिंग अनुभाग	कोटा
23.	श्रीमती इन्दु मेहता	सहायक निदेशक, रोकड़	अजमेर
24.	श्रीमती अनामिका गोस्वामी	सहायक निदेशक, खेलकूद सुगम सम्पर्क पोर्टल, कम्प्यूटर	नागौर
25.	श्रीमती विद्या कन्नौजिया	सहायक निदेशक, शिक्षक अवकाश अनुभाग	बीकानेर

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार संभागवार प्रतिमाह अपने आवंटित जिलों में जाकर जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि/ब्लॉक प्राशि. अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिला भ्रमण के दौरान एसआईक्यूई के संदर्भ में निरीक्षण कर रिपोर्ट/प्रतिवेदन एसआईक्यूआई अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे।

संभाग	**सप्ताह**
उदयपुर संभाग	प्रथम सप्ताह
चूरू/जयपुर संभाग	द्वितीय सप्ताह
जोधपुर/कोटा संभाग	तृतीय सप्ताह
अजमेर/भरतपुर संभाग	चतुर्थ सप्ताह

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19504/2017/ दिनांक : 09.08.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर।
4. उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध करावें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, समस्त राजस्थान
7. संबंधित अधिकारी, कार्यालय हाजा।
8. यूनिसेफ जयपुर।
9. वाणी संस्था, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com